

रिपोर्ट पटवारी हल्का सलावटिया

महोदय जी, निवेदन है कि ग्राम झाड़ोली के खाना ~~खाना~~, 168, 169 में सूर्यकरण पिता खाना अहीर दर्ज है जबकि वास्तविक नाम बाबुलाल पिता खाना अहीर है जिसके दस्तावेज सलंगन हैं। अतः सूर्यकरण पिता खाना के बजाय बाबुलाल पिता खाना अहीर दर्ज किया जाना उचित है।

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत्त सलावटिया

*(Signature)*  
सलावटिया  
26/11/2021

महोदय जी, झाड़ोली के खाता सं० - 169, 168 में रिपोर्ट पटवारी

एवं सलंगन दस्तावेज अनुसार सूर्यकरण पिता खाना के बजाय बाबुलाल पिता खाना अहीर दर्ज किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार, बिजौलियां

क्रमांक/राज्य/21/16

दि 9.12.2021 912-अ

महोदय जी, निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि. सलावटिया व सलंगन दस्तावेजों अनुसार ग्राम झाड़ोली की जमाबंद खाता सं० 168, 169 में सूर्यकरण पुत्र खाना के स्थान पर बाबुलाल पुत्र खाना अहीर दर्ज किया जाना की अनुशंसा की जाती है।

आदेश

तहसीलदार

केम. बिजौलियां कला  
तहसील बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

प.ह.पटवारी सलावटियां व भू.अ.नि.सलावटियां की जांच-रिपोर्ट एवं तहसीलदार बिजौलियां के स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर आवेदक की ग्राम झाड़ोली की खाता संख्या 168 व 169 में उर्धी नाबालिग सूर्यकरण पुत्र खाना संरक्षक सरपस्तर माता लुबधी जाति अहीर के स्थान पर बाबुलाल पुत्र खाना जाति अहीर किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
प्रशासन गांधी के शान अभियान 2021  
बिजौलियां (कलेक्ट)  
उपखण्ड (कलेक्ट)  
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान.....बिजौलिया, कर्ण

---आदेश:--

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सजावरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्राप्त सा.डी.डी. तहसील बिजौलिया जिला झुंझार की जमाबन्दी सम्वत् १९७५-१९७७ में खाता संख्या १६८, १६९ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>साडीडी</u>	<del>१६८</del> , 168, 169	नवाविग सूर्यकरण पुत्र खाना संरक्षक सरफस्त भाता तुलसी जाति अहीर अंकित है	<u>बाबुलाल पुत्र खाना जाति अहीर किया जाता है।</u>



दिनांक :- 31/7/2021  
महिलाधिकारी :-

(सीमा तिवारी)  
पीठासीन अधिकारी  
प्रशासन उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया  
बिजौलिया (पीठासीन)

दिनांक :- 03/12/2021

1. तहसीलदार, बिजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद धारा किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बाबुलाल पुत्र खाना जाति अहीर बि. साडीडी को सूचनार्थ।
3. अक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
प्रशासन उपखण्ड अधिकारी एवं 2021  
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया  
बिजौलिया (पीठासीन)